न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 46/2018 (जीसीएमएस नम्बर 2018/00320)

1. रामचन्द्र वर्मा पुत्र भैरू राम वर्मा
2. नारायण लाल वर्मा पुत्र भैरू राम वर्मा
3. रामस्वरूप वर्मा पुत्र भैरू राम वर्मा
   समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम खेजरोली, जिला जयपुर ।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. जटाशंकर पुत्र कालूराम सैनी, निवासी खेजरोली, जिला जयपुर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75(एफ) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौंमू जिला जयपुर दिनांक 04.07.2017 मुकदमा संख्या 30/2009

उपस्थित–

1. श्री बी.एल.वर्मा, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक –19.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौंमू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 04.07.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी/गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौंमू (जयपुर) द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौंमू दिनांक 04.07.2017 के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी रामचन्द्र वर्मा पुत्र भैरू राम वर्मा वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश 04.07.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन कि अपीलान्ट ग्राम खेजरोली के आराजी पुराने खसरा नम्बर 3257, 3258, 3259 एवं 3260/3 जिनके हाल खसरा नम्बर 6483, 6484, 6498, 6499, 6485, 6487 रकबा 2.61 हेक्टेयर ग्राम खेजरोली तहसील चौमू कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त कृषि भूमि की खतौनी नम्बर 1014 नई एवं पुरानी नम्बर 900, 925 है। आराजी खसरा नम्बर 3260/3 रकबा 2 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 6486 है उस पर पूर्व में अपीलान्ट के पिता एवं वर्तमान में अपीलान्टस का कब्जा चला आ रहा है लेकिन राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त भूमि पश्चात्वर्ती अॅलाटी छीतरमल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान हनुमान सहाय कुमावत निवासी खेजरोली के नाम दर्ज कर दिया एवं उन द्वारा बेचान किये जाने पर उपरोक्त खसरा नम्बर 6486 रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 जटाशंकर पुत्र कालूराम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सैनी, निवासी खेजरोली के नाम दर्ज कर दी। यानि आवंटन की प्रक्रिया को पूरी नहीं करते हुए एवं नये आवंटित व्यक्तियों को बटा नम्बर की तरमीम नहीं करने के कारण यह भूमि अपीलान्टस के बजाय रेस्पोडेन्ट 2 के विक्रेता छीतरमल, लक्ष्मीनारायण पुत्रान हनुमान सहाय कुमावत निवासी खेजरोली के नाम अंकित कर दी एवं उनके द्वारा इस भूमि के विक्रय करने के फलस्वरूप वर्तमान में जटाशंकर पुत्र कालूराम सैनी रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम अंकित है जबकि उसका कब्जा खसरा नम्बर 6485 रकबा 0.26 है. एवं खसरा नम्बर 6487 रकबा 0.25 है. कुल रकबा 0.51 है. पर है। उपरोक्त भूमि का नियमन/आवंटन सर्वप्रथम अपीलान्ट के पिता भैरू उर्फ भैरू राम पुत्र गणेश, जाति बलाई निवासी ग्राम खेजरोली को तहसील आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा आदेश क्रमांक 645/आर.ए. दिनांक 18/07/1972 के अन्तर्गत बतौर गैरखातेदार जरिये नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 24/05/1973 अंकित की गई थी एवं नामान्तरकरण संख्या 1271 दिनांक 23/01/1983 के अन्तर्गत 10 वर्ष पूर्ण होने पर गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदत्त की गई। उपरोक्त प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दुरुस्ती रेवेन्यू रिकार्ड हेतु उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर क्रमांक 30/2009 प्रस्तुत की गई जिस पर पीठासीन अधिकारी के रिपोर्ट प्रतिवेदन मांगने पर उपखण्ड अधिकारी चौमू को तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चौमू ने अपने पत्र क्रमांक एल.आर./15/2209 दिनांक 03/06/2015 के अन्तर्गत निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण के सम्बन्ध में बिन्दु कर जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का खेजरोली अनुसार निम्नानुसार हैः– (1) कि बिन्दु सं. 1 रिकार्ड पर आधारित है। (2) कि बिन्दु सं. 2 रिकार्ड पर आधारित है । (3) कि बिन्दु सं. 3 रिकार्ड पर आधारित है। (4) कि बिन्दु सं. 4 रिकार्ड पर आधारित है किन्तु ख.न. 6486 रकबा 0.92 है. कि खातेदारी प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त ख.नं. 6486 रकबा 0.92 है. में से 0.51 है. भूमि वादी के कब्जे काश्त में है । शेष 0.41 है. प्रतिवादी सं. 2 के कब्जे काश्त में है । ख.नं. 6485 रकबा 0.26 ख.नं. 6487 रकबा 0.25 कुल किता 2 रकबा 0.51 है. प्रतिवादी सं. 2 के कब्जे काश्त में है। (5) कि बिन्दु सं. 5 में उल्लेखित ख.नं. 6484 रकबा 0.76 है. वादी की खातेदारी में है। इसमें से 0.01 है. प्रतिवादी सं. 2 के कब्जे काश्त में है। शेष 0.75 है. भूमि वादी के कब्जे काश्त में है। ख.नं. 6498, 6499 किता 2 रकबा 0.14 है. की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु कब्जा काश्त दीगर काश्तकार का है। जिसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। ख.नं. 6499/9153 रकबा 0.07 है. ख.नं. 6499/9154 रकबा 0.11 है. किता 2 रकबा 0.18 है. है कि खातेदारी दीगर काश्तकार के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें से ख.नं. 6499/9153 रकबा 0.07 है. ख.नं. 6499/9154 रकबा 0.06 कुल 0.13 है. पर कब्जा काश्त वादी का है। (6) कि बिन्दु सं. 6 ल. 9 कानूनी है। संक्षेप में जांच रिपोर्ट इस प्रकार है कि ख.नं. 6486 रकबा 0.92 है. में से 0.51 है. भूमि प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी से कम होकर वादी की खातेदारी में होगी तथा ख.नं. 6485 रकबा 0.26 है. ख.नं. 6487 रकबा 0.25 है. किता 2रकबा 0. 51 है. वादी की खातेदारी से कम होकर प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में दर्ज होगा एवं ख.नं. 6484 में से 0.75 है. वादी के नाम रहेगा एवं 0.01 प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज होगा। ख.नं. 6499/9153 रकबा 0.07 रकबा 6499 / 9154 रकबा 0.11 है. को खातेदारी वादी व प्रतिवादी के नाम नहीं है। दीगर पक्षकार की खातेदारी मे दर्ज है। ख.नं. 6499/9153 रकबा 0.07 एवं चा.न. 6499/9154 रकबा 0.11 है. में से 0.06 है. भूमि वादी के नाम मुताबिक कब्जा काश्त के वादी की खातेदारी में दर्ज होगा एवं ख.नं. 6498 व 6499 मुताबिक कब्जा काश्त के दीगर पक्षकार के नाम दर्ज होगा। ख.नं. 6485, 6486, 6487 के खातों में पेन्सिल से डूब क्षेत्र का नोट अंकित है। ख.नं. 6484 में पेन्सिल से माफी मन्दिर का नोट लगा हुआ है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित की गयी। उपरोक्त रिपोर्ट में ख.नं. 6484 में पेन्सिल से माफी मन्दिर का नोट लगाना भी गैर कानूनी है क्योंकि यह भूमि कभी भी माफी मन्दिर के नाम दर्ज नहीं रही। यह कि प्रार्थनापत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अपीलान्टस ने जो अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्डी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौंमू (जयपुर) द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2017 द्वारा पारित कर आदेशित किया गया कि प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेंट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि / गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 132 से 137 के प्रावधान वार्षिक अभिलेख से संबंधित है। धारा 132 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वार्षिक रजिस्टर को परिभाषित किया गया है। धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भू–प्रबन्ध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नहीं आता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। उपरोक्त आदेश हालांकि दिनांक 04/07/2017 को ही पारित कर दिया था एवं उसकी अपील 60 दिवस की अवधि 4 सितम्बर 2017 तक पेश करनी थी लेकिन उपरोक्त प्रकरण लोक अदालत कैम्प में निर्णय किये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश प्रकरण संख्या 30/2009 उनवानी रामचन्द्र व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य की जानकारी दिनांक 05/01/2018 को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से नकल प्राप्त करने पर हुई अतः जानकारी से 60 दिवस की अवधि में यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी देरी माफी प्रार्थना पत्र दफा 5 अवधि अधिनियम 1963 के अन्तर्गत पृथक से न्याय हित में ओर प्रस्तुत की जा रही है। यह कि उपरोक्त आदेश को निम्न आधारों पर चुनौती दी जा रही हैः– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो दिनांक 04/07/2017 को आदेश पारित किया है वो स्पीकिंग आदेश न होकर बेंनस ूल में पारित आदेश है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चौमू जो कि भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 की प्रोसिडिंग में एक आवश्यक पक्षकार है। तहसीलदार चौमू है के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एल.आर. /15/2209 दिनांक 03/06/2015 का न तो अवलोकन किया, न उस प्रतिवेदन के तथ्यों पर गौर किया, न ही प्रतिवेदन के बिन्दुओं का निस्तारण किया जबकि उपरोक्त प्रतिवेदन के पैरा नं. 6 में साफ लिखा हुआ है कि खसरा नम्बर 6486 रकबा 0.92 है. में से 0.51 है. भूमि प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी से कम होकर वादी की खातेदारी में होगी तथा ख.नं. 6485 रकबा 0.26 है. ख.नं. 6487 रकबा 0.25 है. किता 2रकबा 0.51 है. वादी की खातेदारी से कम होकर प्रतिवादी सं. 2 की खातेदारी में दर्ज होगा एवं ख.नं. 6484 में से 0.75 है. वादी के नाम रहेगा एवं 0.01 प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज होगा। ख.नं. 6499 / 9153 रकबा 0.07 रकबा 6499/9154 रकबा 0.11 है. को खातेदारी वादी व प्रतिवादी के नाम नहीं है। दीगर पक्षकार की खातेदारी मे दर्ज है। ख.नं. 6499 /9153 रकबा 0.07 एवं चा.न. 6499/ 9154 रकबा 0.11 है. में से 0.06 है. भूमि वादी के नाम मुताबिक कब्जा काश्त के वादी की खातेदारी में दर्ज होगा एवं ख.नं. 6498 व 6499 मुताबिक कब्जा काश्त के दीगर पक्षकार के नाम दर्ज होगा। इस तरह सहज ही पता चलेगा कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चौमू द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की कोई समीक्षा नहीं की एवं निर्णय सपच ावक उमजीवक को अपनाकर पारित किया है जो रनकपबपंस कमबपेपवद की तारीफ में नहीं आता एवं इसी कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टस के पिता पूर्ववर्ती आवंटित थे एवं पश्चातवर्ती आवंटी के मामले में उपखण्ड अधिकारी को पूर्व में आवंटित भूमि के कब्जे काश्त को दर गुजर करके एवं तरमीम की कार्यवाही पूर्ण न करके अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करने की छूट कानून में नहीं है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(2) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्ति के कब्जे काश्त की भूमि जिसकी पुष्टि स्वीकारोक्ति (कउपेपवद) तहसीलदार चौमू ने अपने प्रतिवेदन क्रमांक एल.आर./15/ 2209 दिनांक 03/06/2015 में किया है उसके विपरीत निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अनियमितता बरती है। इस कारण भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह आदेश दूषित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलान्टस उपरोक्त प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति है एवं गलत इन्द्राज को दूरस्त करने का एवं उन्हें चुनौती देने के हकदार है जिसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। इस कारण भी उपरोक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । न्याय का यह सामान्य सिद्धान्त है प्रतिवादी प्रार्थना पत्र का खण्डन करें लेकिन रेस्पोंडेन्ट ने अपीलान्टस के प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं किया लिहाजा अपीलान्टस का प्रार्थना पत्र सही तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्वीकार किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया एवं प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो arbitrary एवं मनमाना आदेश होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस कब्जे के आधार पर स्वीकार की जाकर इन्द्राज दुरूस्ती के किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार चौमू को जारी किये जावे एवं अन्य आदेश जो माननीय न्यायालय न्याय हित में उचित समझे पारित किये जावे ।

6. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी/गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौंमू (जयपुर) द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये। धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भूप्रबंध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नही आता। अतः प्रार्थी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 05.01.2018 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय से धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटि/गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर) ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2017 द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल/त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भूप्रबंध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नही आता। अतः प्रार्थी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। जिससे यह स्पष्ठ है कि धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत केवल राजस्व अभिलेख में रही लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारों की सहमति के आधार पर दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। राजस्व नक्शा (Revenue Map) एक महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेज है एवं इसमें किसी प्रकार का संशोधन किए जाने से यदि किसी का खसरा नम्बर का रकबा बढ रहा है तथा अन्य खसरा नम्बर का रकबा कम हो रहा है तो इस तरह का अनुतोष सम्बन्धित की सहमति के बिना धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत के तहत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। यदि रेस्पोडेन्ट को विवादित भूमि में हिस्से परिवर्तन कराने हैं तो उन्हें प्रभावित खातेदारों को पक्षकार बनाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 89 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करना चाहिये था, जो नहीं कर धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है। ऐसी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर) द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2017 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश हैं कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर) दिनांक 04.07.2017 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर